न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/178/2025 दायर दिनांकः–22.12.2025 रजि0 न0 2025/418

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री दिनेश कुमार खाण्डल पुत्र श्री सुरेश चंद खण्डल केयर ऑफ श्री दुर्गेश खाण्डल, साइट नं० 28/3, 5th ए मैन रोड, अनआरआई लेआउट, रामामुथी नगर, नियर वैश्णव वृशब अपार्टमेंट, बेंगलुरू, कर्नाटक–560016	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 19.01.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 13.11.2025 के संबंध में मिली सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.01.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/08 दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 13.11.2025 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं. 4721191545 दिनांक 19.11.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि एक ही विषय पर बार बार सूचना आवेदन प्रस्तुत कर चाही गई सूचना अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विधिसम्मत नहीं होने के कारण देय नहीं है। उक्तानुसार विनिश्चय कर अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में प्रत्यर्थी के पत्र क्रमांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2026/08 की प्रतिलिपी के माध्यम से संसूचित किया जा चुका है। अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 19.01.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज०) ★

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर